न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 128-एक/2008 निगरानी - विरूद्व आदेश दिनांक 20-12-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 245/2005-06 अपील

1- लियाकत हुसैन पुत्र शौकत हुसैन
2- मोहम्मद हुसैन पुत्र शौकत हुसैन
3- अहमद हुसैन पुत्र शौकत हुसैन
4- इफतेखार हुसैन पुत्र शौकत हुसैन
5- इश्तेयाक हुसैन पुत्र शौकत हुसैन
निवासी ग्राम अमहिया मुन्नू डेयरी
के पास तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

हज्जिन नूरजहॉं पत्नि स्व.रहीमुद्दीन अंसारी
निवासी अमहिया मुन्नू डेयरी
के पास तहसील हुजूर जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 7 - 6-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 245/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-12-07 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ **प्रकरण का सारॉश यह है कि मोहल्ला रीवा स्थित नजूल प्लाट क्रमांक**

3554/1 के अंश भाग 522 वर्गफुट को अनावेदक ने क्रय किया एंव विक्रय पत्र के आधार पर नजूल तहसीलदार तहसील हुजूर को नामान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार नजूल ने प्रकरण क्रमांक 136 अ 6/04-05 पंजीबद्ध किया तथा जॉच के दौरान पाया कि जिस भूखंड पर क्रेता द्वारा नामान्तरण चाहा गया है - विक्रेता के नाम शासकीय अभिलेख में उक्त भूखंड स्वामित्व पर दर्ज नहीं है जिसके कारण क्रेता को नामान्तरण का हक न पहुंचने से आदेश दिनांक 30-7-05 द्वारा नामान्तरण आवेदन निरस्त कर दिया गया। नजूल तहसीलदार तहसील हुजूर के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने नजूल अधिकारी रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। नजूल अधिकारी रीवा ने प्रकरण क्रमांक 14 अ-6/05-06 में पारित आदेश दिनांक 27-9-06 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 245/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-12-07 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक ने मोहल्ला रीवा स्थित नजूल प्लाट क्रमांक 3554/1 के अंश भाग 522 वर्गफुट को अनावेदक ने क्रय किया है एंव विक्रय पत्र के आधार पर नजूल तहसीलदार तहसील हुजूर को आवेदन प्रस्तुत कर नामान्तरण की मांग की है। तहसीलदार नजूल ने प्रकरण क्रमांक 136 अ 6/ 04-05 पंजीबद्ध कर जॉच में पाया है कि जिस भूखंड पर क्रेता द्वारा नामान्तरण चाहा गया है वह भूखंड विक्रेता के नाम शासकीय अभिलेख में स्वामित्व पर दर्ज नहीं था और जब विक्रेता विक्रीत भूमि का भूमिस्वामी नहीं है उसे भूमि विक्रय का अधिकार नहीं है जिसके कारण ऐसी भूमि के क्रेता को नामान्तरण की पात्रता न पहुंचने के कारण नामान्तरण आवेदन निरस्त किया गया है जिसके कारण

तहसीलदार नजूल तहसील हुजूर द्वारा प्रकरण कमांक 136 अ 6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 30-7-05 को नजूल अधिकारी रीवा ने एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 245/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-12-07 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एम0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर